(नियम 20)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

बलवन्त सिंह बनाम प्रेम सिंह व अन्य

किस्म मुकदमा :– 212 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या :–77 / 2024

GCMS :- 2024/216

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.05.26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 2 एसएमआर की जमाबंदी सम्वत् 2076 ता 79 के खाता संख्या 47 नया 39 पुराना की 12.512 हैक्टर कमाण्ड व अ0क0 भूमि दर्ज रिकार्ड है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/9 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से 1/18 हिस्सा दर्ज है तथा इसी चक के खाता संख्या 20 नया 50 पुराना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 287/8613 हिस्सा तथा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से 574/8613 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त वर्णित दोनों खातों में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से 1.676 हैक्टर भूमि व अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से 1.267 हैक्टर भूमि अंकित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्सा में आने वाली भूमि का दानपात्र दिनांक 11.03.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में करवा दिया है। उक्त भूमि का इन्तकाल करवाते समय पटवारी हल्का से मिलीभगत कर दानपात्र से मिली भूमि से ज्यादा भूमि का इन्तकाल दर्ज करवा लिया। जैरवाद रकबा पैतृक है। प्रार्थी का 1/3 हिस्सा बनता है। किन्तु अप्रार्थीगण उसे अपना हिस्सा नही देना चाहते है। सहमति पत्र दिनांक 09.06.2020 अनुसार प्रार्थी उसे प्राप्त हिस्सा पर कब्जा काश्त है। इसी हिस्सा की घोषणा करवाने का वाद पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हिस्सा में आने वाली भूमि से ज्यादा का दानपात्र करवा लिया है। अप्रार्थीगण जैरवाद रकबा को खुर्द–बुर्द करना चाहते है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी टी.आई. को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने ऐतराज करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नही किया है। पत्रावली में सहमति पत्र के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रार्थी को 1/3 हिस्सा की भूमि दी गई थी। वाद पत्र के निर्णय से पूर्व यदि जैरवाद रकबा का हस्तातंरण हो गया तो मूल वाद के निष्फल होने की संभावना है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होना संभव है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को वाद पत्र के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे जैरवाद रकबा के दोनों खातों की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा एक–दुसरे के कब्जा काश्त में दखलदांजी नही करेगें। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़